दून विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव कार्यालय

सं: 817 /छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ/आर-डी.यू/2025 दिनांक: 28 दिसम्बर 2025

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष: 2025-26 हेतु छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों/ योग्यताओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:

1. शैक्षणिक वर्ष: 2025-26 के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित नवीन छात्र- छात्राएं , जो 12वीं के परीक्षाफल में न्यूनतम 80 प्रतिशत प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड से उत्तीर्ण हुए है को विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार संकयावार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

2. शैक्षणिक वर्ष: 2025-26 में स्नातक द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत व 2024-25 में स्नातक उत्तीर्ण एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत व 2024-25 में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आवेदन करने हेतु विगत वर्ष की परीक्षाफलो में न्यूनतम 60 प्रतिशत विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार संकयवार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

3. छात्रवृत्ति के लिए छात्र-छात्राओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जायेगा जिन्होंने बिना किसी अवरोध के परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अंक सुधार परीक्षा वाले छात्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. छात्रवृत्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि छात्र-छात्रा के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा अथवा किसी विधि संगत संरचना द्वारा कोई/अनुशानात्मक/विधिक कार्यवाही न की गयी हो।

अतः उक्त क्रम में सभी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि, उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन कर समर्थ पोर्टल लिंक- cmheiss.samarth.ac.in पर लाग इन कर दिनांक- 31 दिसम्बर 2025 तक अपना आवेदन करना सुनिश्चित करें। छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर योग्य छात्र-छात्राओं की सूची तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण को छात्रों में व्यापक प्रचार प्रसार हेतुं प्रेषित|
3. आई०टी० प्रभारी को उक्त सूचना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कुलसचिव